Among other things these guidelines envisage strengthening of intelligence gathering system, action under law against those indulging in inflammatory writings, need for regulating the procedure for allowing religious processions on the occasion of major festivals to ensure that there is no provocation or other cause for communal violence; the need to regulate emergence of unauthorised places of worship on public places etc.; the need to deal effectively with the use of loud-speakers in places of worship and the need for speedy investigation of cases registered in connection with the communal violence through Special Courts/Earmarked Courts. The Home Minister in particular addressed all the State Governments/UTs in October, 1986 emphasising direct responsibility of the district, civil and police officials in maintaining communal harmony. Again on 30th December, 1986, the State Governments/UTs were issued instructions on how to control and regulate religious processions.

Anglo-Chinese Agreement on Hongkong's Future

*40. SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is India's policy in regard to the Anglo-Chinese Agreement on Hongkong's future;

(b) whether Hongkong citizens of Indian origin have made any approach to India regarding their future after the colony relapses to China in 1999; and

(c) what would India's attitude be in safeguarding the interests of the Hongkong citizens and whether they would be received back in India if they wish to settle here?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) Government welcomes agreements which make for peace and stability.

(b) and (c) Of the approximately 20,000 people of Indian origin in Hong Kong, approximately 15,000 are Indian passport holders.

In addition there are approximately 4,500 British Dependent Territory citizens (BDTC's) of Indian origin in Hong Kong. These BDTC's of Indian origin have expressed the fear that under the provisions of the Sino-British agreement they may be rendered stateless when China resumes sovereignty over Hong Kong. The Government of India believe that this category of persons is the responsibility of the British Government who should ensure that they are not rendered stateless.

Concessions given to the Textile Industry

157. SHRI DINKARRAO GOVINDRAO PATIL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any study to find out whether the concessions given to the textile industry have been used for the benefit of the consumer and for the healthy growth of the industry; and

(b) if so, what is the outcome thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को हुई हानि

158. **श्री मीर्जा इर्शाद बेग :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को अब तक कितना घाटा हुआ है । इसके प्रमुख कारण क्या हैं और इन घाटों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ;

(ख) गुजरात स्थित राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को कितना घाटा हुआ; गुजरात स्थित प्रत्येक मिल की मशीनरी कितनी पुरानी है तथा इनमें से प्रत्येक मिल के आधुनिकीकरण पर कितना धन व्यय किया गया और इस मद पर कब धन व्यय किया गया;

(ग) क्या गुजरात में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की किसी मिल को बन्द करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य में इन मिलों के आधुनिकीकरण पर राज्य-वार कितना धन व्यय किया गया और प्रत्येक मामले में कब धन व्यय किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 31 मार्च, 1987 तक एन० टी० सी० मिलों का 917.33 करोड़ रु० (अनन्तिम) की संचित हानियां हुई ।

एन० टी० सी० के अधीन मिलों की हानियों के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :-

(1) अधिकांश मिलों में पुरानी और अप्रचलित मशीनरी ।

(2) रुई तथा अन्य अन्तर्निविष्ट साधनों की कीमतों में वृद्धि ।

(3) पावर की कटौती और केप्टिव पावर की ऊंची लागत जिसके परिणाम-स्वरूप विभिन्न मिलों में संस्थापित क्षमता का कम प्रयोग होना ।

(4) कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम उत्पादों आदि की लागत में वृद्धि ।

(5) रंजक और रसायनों की लागत में वृद्धि ।

(6) महंगा भत्ते आदि में वृद्धि के कारण मजदूरी में वृद्धि? और

(7) अत्यधिक श्रमिक बल ।

एन० टी० सी० के अधीन मिलों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए उठाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित प्रकार हैं :-

(1) निश्चित कार्यवाही योजनाओं के संदर्भ में प्रबंधकों के कार्य निष्पादन की कड़ी समीक्षा ।

(2) शीर्ष प्रबंधकों के उत्तरदायित्व को अपेक्षाकृत अधिक लागू करना ।

(3) विभिन्न लागत घटकों की समीक्षा व कड़ा नियंत्रण ।

(4) मुख्य निर्णय लेने वाले पदों का बेहतर प्रबंध करना ।

(5) उत्पाद मिश्रण में सुधार तथा बेहतर बिक्रियों की वसूली दरें प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक विपणन उपाय करना ।

(6) समय पर जानकारी प्राप्त करने, प्रभावी समीक्षा करने तथा निर्णय लेने के लिए प्रबंध आसूचना प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना ।

(7) उपलब्ध संसाधनों के भीतर अनुकूलतम लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिकताओं के अनुसार चयनात्मक आधुनिकीकरण ।

(8) श्रमिक सुव्यवस्थीकरण का तेजी से कार्यान्वयन ।

(9) उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का प्रभावी कार्यान्वयन ।

(10) लाभ केन्द्रों के रूप में मिलों का पता लगाना और कार्य निष्पादन के उत्तरदायित्व सहित मिलों के महाप्रबंधकों को अधिकार और प्राधिकार सौंपना ।

(11) खाली पदों के भरे जाने पर सख्त नियंत्रण और निगरानी ।

(ख) 31 मार्च, 1987 तक गुजरात की एन टी सी मिलों में 77.14 करोड़ रु० (अनन्तिम) की संचित हानियां हुई ।

एन० टी० सी० (गुजरात) के अंतर्गत मिलों में मूल मशीनरी 40 वर्षों से भी अधिक पुरानी होगी।

31 मार्च, 1987 तक की स्थिति अनुसार एन टी सी (गुजरात) के अधीन मिलों के आधुनिकीकरण नवीकरण पर लगभग 37.30 करोड़ रु० की राशि व्यय की गई। मिल-वार विवरण निम्नोक्त है :-

मिल का नाम	व्यय की गई राशि (लाख रु० में)
1. अहमदाबाद जूपिटर	369.71
2. अहमदाबाद न्यु टेक्सटाईल्स	452.83
3. हिमाद्री टैक्सटाईल्स	298.23
4. जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स	490.15
5. न्यु सानरचौक	358.20
6. राजनगर मिल्स नं० 1	642.87
7. नागनगर मिल्स नं० 2	
8. महालक्ष्मी टैक्सटाईल्स	393.68
9. पेटलाड टैक्सटाईल्स	317.66
10. राजकोट टैक्सटाईल्स	182.59
11. वीरमगांव टैक्सटाईल्स	233.89
12. फाइन स्पिनिंग मिल्स (इसमें उत्पादन नहीं हो रहा है)	..

(ग) अभी तक किसी भी एन० टी० सी० मिल को बंद करने का कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) राज्य-वार एन० टी० सी० मिलों के आधुनिकीकरण/नवीकरण पर व्यय की गई राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह राशि अधिग्रहण करने/राष्ट्रीयकरण की अवधि से मार्च, 1987 के अन्त तक चरणबद्ध तरीके से व्यय की गई।

राज्य सभा में दिनांक 28-7-1987 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 158 के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

31-3-1987 तक राज्य-वार एन टी सी मिलों के आधुनिकीकरण/ नवीकरण पर व्यय की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण।

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	व्यय की गई राशि (लाख रु० में)
1	उत्तर प्रदेश	2292.08
2	मध्य प्रदेश	2972.75
3	महाराष्ट्र (एन टी सी (एस एम) लि०)	4512.44
4	महाराष्ट्र (एन टी सी (एम एन) लि०)	4229.30
5	एन टी सी (गुजरात)	3739.81
6	दिल्ली	166.53
7	पंजाब	1403.59
8	राजस्थान	913.07
9	तमिलनाडु	5462.45
10	पाण्डिचेरी	572.05
11	आन्ध्र प्रदेश	1499.88
12	कर्नाटक	1900.26
13	केरल	1670.97
14	माहे	164.93
15	प० बंगाल	2421.40
16	बिहार	289.76
17	असम	174.82
18	उड़ीसा	297.57

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के तकनीशियन तथा अधिकारी-कर्मचारी यूनियन की ओर से अभ्यावेदन

159. **श्री मीर्जा इर्शाद बेग :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में गुजरात की राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की तकनीशियन तथा अधिकारी-कर्मचारी यूनियन की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्रत्येक मामले पर